


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

हेमपाल बुभुडा बनाम सरदार

किस्म मुकदमा:- 251 A P T A & नं. 340 / प्रा 0 पत्र / सत्र / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/3/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 01/04/25 को पेश हो।	
1.4.2025	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज प्रा. उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तस्रीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है। आज पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 01/04/25 को पेश हो	
9/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज प्रा. उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तस्रीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है। आज पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 01/04/25 को पेश हो रिपोर्ट TDR प्राप्त जवाब सरकार प्राप्त।	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। बहम उभयपक्षी सुनी गई। बहम उभयपक्षी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट TDR Taleda का मवलोकन करने पर आवेष्ट माफी सिद्धि जोर पर पहुंच मार्ग ले रास्ता दिया जाना न्यायोचित मतीत होत है। भत। प्रा. उपखण्ड स्वीकार किया जात। री. लिस्टर निर्णय पृथक खोलेका जात। शान. मे. किया गया। पत्रावली फिलहाल सुमा. होना नम्बर से कम हो। बाद तारीख तक कील निम्नानुसार दाखिल करत हो।	 <p>17/4/2025</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०
340/प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा
19.03.2025

तारीख फैसला
16.04.2025

हेमपाल बुनकर पुत्र मुरलीधर बुनकर निवासी ग्राम कालवाड कला तहसील आमेर जिला जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जयं तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :- पेटोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 251(क) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राज० कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि ख०सं० 25/355 रकबा 0. 2104 हैक्टे० वाके ग्राम तीतरवासा में पहुंच के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ते की आवश्यकता है इस हेतु प्रार्थी मुख्य मार्ग पर पहुंच हेतु समीपस्थ ख०सं० 167 रकबा 0.2266 हैक्टे. व ख.सं. 170 रकबा 0.5989 हैक्टे. वाके ग्राम छपावदा में से रास्ता लेने हेतु पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयं नोटिस तलब किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जयं पत्रांक 1127 दिनांक 09.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी अधिकार की भूमि में पहुंच हेतु ग्राम छपावदा के ख०सं० 167 रकबा 0. 2266 है० व ख.सं. 170 रकबा 0.5989 हैक्टे. में से प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु पूर्व से कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। ग्राम छपावदा के ख०सं० 167 रकबा 0.2266 है० व ख.सं. 170 रकबा 0. 5989 हैक्टे. राजकीय सिवायक भूमि है। उक्त रास्ते हेतु ग्राम छपावदा के ख०सं० 167 रकबा 0.2266 हैक्टे० में से रकबा 13 गुणा 30 वर्गफीट = 390 वर्ग फीट व ख०सं० 170 रकबा 0.5989 में से 12.5 गुणा 30 फीट = 375 वर्ग फीट कुल 765 वर्ग फीट भूमि दर्ज रेकार्ड होगी। जो कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु न्यूनतम रास्ता है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की भूमि आराजी ख०सं० 25/355 वाके ग्राम तीतरवासा पर कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग के लिए 30 फीट चौड़ा न्यूनतम दूरी का रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रार्थी को महती आवश्यकता है प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के सम्बन्ध में तहसीलदार तालेड़ा से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

६/०४/२५


दौराने बहस पेटोकार सरफार ने रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अवगत कराते हुए नियमानुसार कृषि जोत तक पहुंच हेतु न्यूनतम रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारी की भूमि पर कृषि कार्य हेतु पहुंच बाबत रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख०सं० 25/355 रकबा 0.2104 हैक्टे० वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए राजकीय सिवायचक आराजी वाके ग्राम छपावदा के ख०सं० 167 रकबा 0.2266 हैक्टे० में से रकबा 13 गुणा 30 वर्गफीट = 390 वर्ग फीट व ख०सं० 170 रकबा 0.5989 में से 12.5 गुणा 30 फीट = 375 वर्ग फीट कुल 765 वर्ग फीट भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. राशि का दुगना नियमानुसार राजकोष में जमा करवाया जावे तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेगा, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगा। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।


(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपस्वण्ड अधिकारी
तालेडा